भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3704
जिसका उत्तर बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

मामलों का त्वरित निपटान

3704. सुश्री एस. जोतिमणि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मामलों के त्वरित निपटान और विधिक न्याय प्रक्रिया की प्रभावकारिता को बेहतर करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) समय पर न्याय प्रदान करने हेतु न्यायिक अवसंरचना का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) न्यायिक पदों की रिक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है ; और

(घ) न्यायिक शिक्षा और विधिक व्यवसाय की गुणवत्ता में बेहतरी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधार किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : संघ सरकार, मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों में कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है । न्याय प्रदान करने और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन, ने कई सामरिक पहलें अंगीकृत की है, जिसके अन्तर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना (न्यायालय हॉल और वास इकाईयां) में सुधार करना, बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) का प्रभावन, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायधीशों के रिक्त पदों को भरना, जिला, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय स्तर पर बकाया समितियों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से लंबित मामलों मे कमी करना, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना और विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल, भी है । पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न पहलों के अधीन उठाये गये कदम निम्न प्रकार है

(i) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना</u> : वर्ष 1993-1994 से केन्द्रीयकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारम्भ से आज तक अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए 7,453.10 करोड रूपए जारी किये जा चुके है । जिसमें से अप्रैल, 2014 से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 4,008.80 करोड रूपए जारी किये जा चुके है (जो आज तक जारी की गयी कुल रकम का 53.79 प्रतिशत है) । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हॉलो की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी से बढकर

तारीख 05.12.2019 तक बढ़कर 19,489 हो चुकी है तथा वास इकाईयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी से बढकर तारीख 05.12.2019 तक बढ़कर 17,090 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त, 2,802 न्यायालय हॉल और 1,831 वास इकाईयां निर्माणाधीन है।

(ii) <u>बेहतर न्याय के परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन:-</u>

सरकार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रोद्योगिकी में समर्थकारी बनाने के लिए संपूर्ण देश में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । वर्ष 2014 से आज की तारीख तक कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या 13,672 से बढ़कर 16,845 हो चुकी है और 3,173 की वृद्धि दर्ज की गई है । सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नया और उपयोक्ता - अनुकूल मामला सूचना सौफ्टवेयर विकसित करके लगाया गया है । सभी पणधारी जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयोँ की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं । वर्तमान में, एन जे डी जी पर 12.23 करोड़ लंबित और निपटाए गए मामलों, और 10.26 करोड़ से अधिक आदेशों/ निर्णयों के बारे में सूचना उपलब्ध है । मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को ई-न्यायालय सेवाऐं जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में, ई न्यायालय बेव पोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ईमेल सेवा, एस एम एस पुश एण्ड पुल सर्विस के माध्यम से उपलब्ध हैं । विडियों कांन्फ्रेंसिंग सुविधा को 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 तत्स्थानी जेलों के मध्य समर्थ किया गया है ।

(iii) <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में पदों को भरना:-</u>

01.05.2014 से 05.12.2019 के दौरान, उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई । उच्च न्यायालयों में 495 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 427 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए । मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1079 हो गई है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या निम्नानुसार बढाई गई है:-

तारीख	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
31.12.2013 को	19,518	15,115
05.12.2019 को	23,597	18,144

(iv) <u>बकाया मामला समिति द्वारा /अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से लंबित मामलों में कमी</u>

अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों में बकाया मामला समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है।

(v) अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर: (20 अगस्त, 2018 को यथा संशोधित) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 , द्वारा वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए बाध्यकारी पूर्व संस्थापन मध्यकता क्रियाविधि आरंभ की गई है। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा समय सीमा विहित करके विवादों के त्वरित समाधान को तेज करने के लिए संशोधन किए गए है।

(vi) विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल: चौदहवें वित्त आयोग राज्यों ने, न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराध, ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों जिसके अंतर्गत बलात्संघ इत्यादि मामलें भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी निधि अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संवर्धित कर न्यायगम 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत के रुप में उपबंधित अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया था। जघन्य अपराधों के मामलों, स्त्रियों, बालकों, कुटुम्ब और वैवाहिक विवादों आदि से संबंधित मामलों के लिए 30.09.2019 तक, 704 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहें हैं। निर्वाचित एमपी/एमएलए को अंतवर्लित करने वाले आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय, नौ (9) राज्यों (मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र-प्रदेश, तेलगांना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल प्रत्येक में एक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दो) में कार्य कर रहे हैं और आनुपातिक निधियां उन राज्यों को सरकार द्वारा जारी की गयी है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने आईपीसी के अधीन बलात्संग और पोक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित न्यायालयों की स्थापना के लिए एक स्कीम का अनुमोदन किया है। आज तक, पन्द्रह राज्य 420 त्वरित निपटान न्यायालयों और 203 अनन्य पोक्सो न्यायालयों की स्थापना के लिए स्कीम से जुडे हैं। इन राज्यों को पहली किस्त के रूप में 89.1 करोड रूपए (कुल आवंटित 100 करोड रूपयों में से) जारी किये जा चुके है।

(ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार विवरण क्रमश: **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** पर दिया गया है।

(घ) : "विधिक शिक्षा को जारी रखने में वैश्विक पद्धतियां: अधिवक्ताओं के वृत्तिक विकास के लिए उभरते मंच" और "गुजरात राज्य में विधिक शिक्षा की क्वालिटी में सुधार और सीमांत वर्ग के लोगों की न्याय तक पहुंच में वृद्धि करने के लिए क्लीनिकल विधिक शिक्षा की भूमिका" नामक परियोजनाएं, न्यायिक सुधारों पर अनुसंधान और अध्ययन करने के लिए स्कीम के अधीन भारतीय प्रबंध संस्थान, काशीपुर और गुजरात राष्ट्र विधि विश्वविद्यालय, गांधी नगर के लिए स्वीकृत की गयी है।

****

उपाबंध-1

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां

क्र.सं.	**न्यायालय का नाम**	**वर्ष 2019** **तारीख 01.12.2019 की स्थिति के अनुसार**
	उच्चतम न्यायालय	01
	उच्च न्यायालय	
1	इलाहाबाद	60
2	आंध्र प्रदेश	22
3	बोम्बे	29
4	कलकत्ता	32
5	छत्तीसगढ़	07
6	दिल्ली	23
7	गुवाहाटी	03
8	गुजरात	24
9	हिमाचल प्रदेश	03
10	संघ राज्यक्षेत्र जम्मू -कश्मीर और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख उच्च न्यायालय	09
1 1	झारखंड	06
12	कर्नाटक	22
13	केरल	15
14	मध्य प्रदेश	22
15	मद्रास	21
16	मणिपुर	01
17	मेघालय	01
18	ओडिशा	13
19	पटना	26
20	पंजाब और हरियाणा	29
21	राजस्थान	29
22	सिक्किम	00
23	तेलंगाना	11
24	त्रिपुरा	01
25	उत्तराखंड	01
	कुल	**410**

उपाबंध-2

तारीख 05.12.2019की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियां

क्र.सं.	**राज्य और संघ राज्यक्षेत्र**	**रिक्तियां**
1.	अंदमान और निकोबार	13
2.	आंध्र प्रदेश	68
3.	अरुणाचल प्रदेश	14
4.	असम	29
5.	बिहार	695
6.	चंडीगढ़	1
7.	छत्तीसगढ़	74
8.	दादरा और नागर हवेली	0
9.	दमण और दीव	1
10.	दिल्ली	119
11.	गोवा	7
12.	गुजरात	321
13.	हरियाणा	297
14.	हिमाचल प्रदेश	23
15.	जम्मू - कश्मीर	58
16.	झारखंड	215
17.	कर्नाटक	239
18.	केरल	75
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	517
21.	महाराष्ट्र	247
22.	मणिपुर	16
23.	मेघालय	48
24.	मिजोरम	18
25.	नागालैंड	8
26.	ओडिशा	148
27.	पुडुचेरी	15
28.	पंजाब	96
29.	राजस्थान	307
30.	सिक्किम	6
31.	तमिलनाडु	137
32.	तेलंगाना	79
33.	त्रिपुरा	24
34.	उत्तर प्रदेश	1404
35.	उत्तराखंड	66
36.	पश्चिमी बंगाल	94
कुल		**5453**

****